राजस्थान सरकार
विधि एवम् विधिक कार्य विभाग

सं. एफ 11(3)न्याय/2002 पार्ट

जयपुर दिनांक 08-11-2010

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.04.2010 जिसके द्वारा तीन निजी अस्पतालों को अधिसूचित अस्पताल घोषित किया गया है, के क्रम में राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2008 के अधीन निम्नलिखित 29 और निजी अस्पतालों को एतद्द्वारा अधिसूचित अस्पताल घोषित किया जाता है:–

4. Bhandari Hospital and Research Centre, Jaipur
5. Fortis Escorts Hospital, Jaipur
6. Mahatma Gandhi Medical College & Hospital, Jaipur
7. Saket Hospital, Jaipur
8. Tagore Hospital & Research Institute, Jaipur
9. Apex Hospital, Jaipur
10. Jaipur Hospital, Jaipur
11. NIIMS Hospital, Jaipur
12. Mittal Hospital, Alwar
13. Lifeline Hospital, Alwar
14. Ramsnehi Hospital and Research Centre, Bhilwara
15. Kothari Medical & Research Centre, Bikaner
16. Goyal Hospital & Research Centre, Jodhpur
17. Bhart Vikas Parishad Hospital & Research Centre, Kota
18. Fortis Modi Hospital, Kota
19. Jaisawal Hospital & Neuro Institute, Kota
20. Sudha Hospital & Medical Research Centre, Kota
21. Gitanjali Medical College and Hospital, Udaipur
22. Maa Gayatri Hospital, Udaipur
23. Kalpana Nursing Home, Udaipur
24. GBH American Hospital, Udaipur
25. Global Hospital & Research Centre, Mount Abu.

Only for Cardiology and CT Surgery Super Specialty Hospitals :

26. Heart & General Hospital, Jaipur
27. Jaipur Heart Institute, Jaipur

Only for Neurosurgery Super Specialty Hospital :

28. Indowestern Brain & Spine Hospital, Jaipur

Only for Oncology Super Specialty Hospital :

29. Bhagwan Mahaveer Cancer Hospital and Research Centre, Jaipur

Only for Ophthalmology Super Specialty Hospitals :

30. Anand Hospital and Eye Centre, Jaipur
31. Kshetrapal Eye Hospital & Lasik Laser Centre, Ajmer

Only for Cardiology Super Specialty Hospital :

32. Kota Heart Institute, Kota

टिप्पणी :–

1. यह सलाह दी जाती है कि न्यायिक सेवा के सदस्यों का निजी अस्पताल में उपचार अनुज्ञात करते समय ऐसे उपचार के औचित्य को ध्यान में रखते हुए मितव्ययता बरती जावे;

क्रमशः.....2

2. सरकारी सेवकों की विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय जांचों और शल्य क्रियाओं पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने प्रतिपूर्ति योग्य व्यय की सीमा नियत की हुई है। वित्त विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ.6(4)वित्त/नियम/2003 पार्ट दिनांक 16.12.09 में इन दरों का प्रावधान है। यद्यपि ये सीमा न्यायिक अधिकारियों पर आबद्धकर नहीं है किन्तु इसे मार्गदर्शक दरों के रूप में माना जावे ताकि निजी अस्पताल को अधिक राशि का भुगतान नहीं हो।

यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 121000286 दिनांक 03.11.10 द्वारा अनुमोदित है।

आज्ञा से

(सत्यदेव टाक)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. महालेखाकार, राजस्थान
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार।
8. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर
12. निदेशक मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है
13. रक्षित पत्रावली

(नरेश चुघ)
उप शासन सचिव